• बीआरकेजीबी सरल कृषि ऋण योजना

1	**उद्धेश्य**	केसीसी धारक कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उनकी कृषि निवेश/कृषि सहायक गतिविधियों/कृषि उपभोग एवं त्यौहार, आकस्मिक चिकित्सा खर्च एवं अन्य आपातकालीन खर्चों इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान करना।
2	**पात्रता**	1. शाखा क्षेत्र के ऐसे कृषक जिनके पास स्वयं के स्वामित्व की कब्जेशुदा असिंचित/सिंचित भूमि है एवं शाखा में स्थित उनका केसीसी ऋण खाता मानक हो अथवा नया केसीसी आवेदक 2. केसीसी धारक की पत्नी को भी मूल ऋणी एवं कृषि भूमि धारक के साथ संयुक्त ऋणी बनाया जा सकेगा।
3	**साख सीमा का निर्धारण**	**1.** कृषक को वर्तमान प्रदत्त समस्त ऋण सुविधाओं के योग एवं प्रतिभूति में प्राप्त कृषि भूमि के DLC/Realisable value (जो भी कम हो) के अन्तर का 50% **या** 2. अधिकतम रू. 2.00 लाख। 3. स्वीकृत केसीसी ऋण सीमा (उक्त तीनों में से जो भी कम हो।)
4	**अंशदान**	स्वीकृत सीमा (वर्तमान एवं प्रस्तावित) एवं कृषि भूमि के मूल्य के अन्तर को मार्जिन माना जायेगा। (अलग से कोई मार्जिन नहीं लिया जावेगा।)
5	**ब्याज दर**	1. आवधिक ऋण हेतु – बीपीएलआर (–) 2.50%, वर्तमान में बीपीएलआर 14.50% है, अतः प्रभावी ब्याज दर 12.00% होगी।(अर्द्धवार्षिक प्रभारणीय) **2. अधिविकर्ष सीमा हेतु – बीपीएलआर (–) 0.50%, वर्तमान में बीपीएलआर 14.50% है, अतः प्रभावी ब्याज दर 14.00% होगी।(अर्द्धवार्षिक प्रभारणीय)** यह ब्याज दर समय–समय पर बैंक निर्देशानुसार परिवर्तनीय है,
6	**प्रतिभूति**	1. कृषक/उसकी पत्नी के नाम से उनके स्वामित्व व कब्जेशुदा असिंचित/सिंचित कृषि भूमि, का बैंक के पक्ष में रहन। 2. पूर्व स्वीकृत केसीसी सीमा एवं प्रस्तावित ऋण सीमा, कुल मिलाकर रू. 1.00 लाख तक होने पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जाये। 3. बैंक को स्वीकार्य तृतीय पक्ष की जमानत। (ऋणी को स्वीकृत पूर्व ऋणों के पेटे यदि कोई जमानत प्राप्त की गयी है, तो उन्हीं जमानतदारों की जमानत प्राप्त की जाये अथवा नयी जमानत प्राप्त करने की स्थिति में पुराने जमानतदारों की भी सहमति प्राप्त की जाए।
7	**पुनर्भुगतान अवधि**	1. आवधिक ऋण हेतु – आय उपलब्धता के आधार पर मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक किश्तों में। 2. **अधिविकर्ष सीमा हेतु – खाते में नामे की गई प्रत्येक राशि का समायोजन 12 माह में किया जायेगा।**
8	**सेवा प्रभार**	बैंक निर्देशानुसार